

महाराष्ट्र न्यायिक सेवा आयोग
 न्यायिक सेवा आयोग
 न्यायिक सेवा आयोग

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

हिरालाल बनाम सराज

मु. सं. 168/2021

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुक्म की तामील
 में जारी हुए

हम दोनों पक्षों के आपसी राजीनामा हो गया है, अब दावा को लोक अदालत की भावना से विझें करना चाहते हैं। श्रावण पर बोदी एवं उनके बकील के पुना। बोदी का सत्यापन श्री हरिशंकर सिंह एडवोकेट द्वारा किया गया। अतः बोदी के श्रावण पर को स्वीकार करते हुए दावा बोदी विझें किये जाने को स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली कैलल शुमार होकर दाखिल दफतर है।

अदालत पुनाया गया

अपसण्ड अधिकारी
 महाराष्ट्र न्यायिक सेवा आयोग